लोगों की भर्ती केन्द्र से होती है और मंत्री महोदय करते हैं । उन्हें इस के बारे म ध्यान देना चाहिए । जिस गांव में अत्याचार हुए हैं, वहां तो महाराष्ट्र सरकार जुर्माना करने वाली है । जिन जिस लोगों का प्रोसीक्यूशन हुआ है क्या उनके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं किया जाएगा ?

ये मेरे सवाल हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं माननीय सदस्य के सभी प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं । एक बात उन्होंने कही है जिसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ है । उन्होंने कहा कि जब से जनता पार्टी की सरकार आई है यह जो रेफैन है यह बहुत दिनों से चला आ रहा है, उनके इस इम्प्रैशन को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं । यह जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है । गवई साहब हरिजनों के नेता और शुभ चिन्तक हैं । उनको चीज को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये तभी जा कर इसका सही इंटरप्रेटेशन कर सकेंगे । तभी वह उस घटना से ठीक लेसन ले पाएंगे और आगे के लिए ठीक मार्गदर्शन दे पाएंगे । घटनाओं का ठीक अध्ययन किया जाना चाहिए । एमरजेंसी खत्म हुई । जनता पार्टी की सरकार बनी । तभी से देश में जनतंत्र में निर्भरता का वातावरण बना है, कानून का राज बना है । इससे हरिजन भी निर्भर बने हैं और अपने अधिकारों को एसर्ट कर रहे हैं । इस भूमिका को पहले उनको समझना चाहिये । जनतंत्र की भूमिका को उन्होंने नहीं समझा तो सारी बात व्यर्थ चली जाएगी। जनता पार्टी का सवाल नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखें कि देश में जनता पार्टी ने जनतन्त्र को रेस्टोर किया है जिसको कांग्रेस ने खत्म कर दिया था। इसको आप ध्यान में रखें तभी आपको पता लगेगा कि इस वातावरण का क्या हरिजन भी लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। वे भी उठा रहे हैं और अपने अधिकारों को एसर्ट कर रहे हैं ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरिजनों के प्रति जनता पार्टी की सहानुभूति है। उनको समाज में उचित दर्जा मिले, ममता का दर्जा मिले यही जनता पार्टी की मंशा और इच्छा है। जो संघर्ष चल रहा है इसमें देश में ममता का वातावरण बनेगा, ऊंच नीच का जो भेद है वह खत्म होगा। आप विश्वास करें कि इसी दिशा में यह चीज चल रही है। सभी का यह प्रयास है कि यह सफल हो और देश में समता का वातावरण बनें ।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the substitute motions to the vote of the House. Dr. Ramji Singh, do you wish to press your substitute motion or withdraw it?

DR. RAMJI SINGH: I would like to withdraw it.

Substitution Motion No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put substitute motion No. 2 moved by Shri B. C. Kamble to the vote of the House. The question is:

"That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the situation arising out of the reported large scale disturbances and some killings in Marathwada in Maharashtra State, expresses its great concern and directs the Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, to investigate into the causes of these incidents and to identify those who are responsibe for such incidents, and suggest remedies to meet the present situation as well as to suggest such other remedies to prevent recurrence of such incidents in any part of India in future." (2)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The other two Substitute Motion Nos. 3 and 4 are barred.

17.24 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

RENT CHARGED FROM VENDING CONTRACTORS ON THE RAILWAYS

MR. CHAIRMAN: Now we go on to the Half-an-Hour Discussion. Pandit Tiwary.

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : (गोपालगंज) : पूर्वोत्तर रेलवे के हर क्षेत्र में कितनी धांधली और गड़बड़ी की जाती है उसके एक हिस्से को मैं आज प्रकाश में लाना चाहता हूं । जिस क्षेत्र की ओर आप नजर उठायें, वहां पक्ष-पात, धांधली और जुल्म ही आपको दिखाई देगा । छोटे मोटे कर्मचारी कुछ गलत काम करते हैं तो उसका समाधान हो जाता है लेकिन जब

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी]

हैड आफ दि डिपार्टमेंट, महाप्रबन्धक और क्षेत्रीय आफिसर्स वहां का ए० डी० एस० आदि जब गड़बड़ी करने लगते हैं तब मामला और बिगड़ जाता है। होता यह है कि जब आफिसर नहीं चाहते कि कोई आदमी रेलवे में काम करे तो उसके प्रति इतनी गलत गलत बातें करते हैं जिससे वह आदमी खुद छोड़कर चला जाय, पर उसका इलाज कहीं नहीं है। जो अभी वर्तमान प्रश्न है कि विभिन्न स्टेशनों पर रेस्टोरेंट के मकानों का भाड़ा कैसे निर्धारित किया गया, क्यों निर्धारित किया जाता है? मैंने अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 5445 दिनांक 4.4.78 और पुनः 25.7.78 को प्रश्न संख्या 1376 द्वारा यह पूछा था कि मुझे बताया जाय कि बड़े बड़े स्टेशनों पर कितना भाड़ा चार्ज किया जाता है। पहले प्रश्न में तो टाला गया कि संकलित किया जा रहा है और सभा पटल पर रखा जाएगा। संकलित कहां करना था? वह तो एन0 ई0 आर0 के हैडक्वाटर से 5 मिनट में आ जाता। लेकिन आपने टालना चाहा। जब दूसरा प्रश्न मैंने पूछा तो बड़ा रिवीलिंग उत्तर दिया गया। जो बड़े बड़े स्टेशन हैं जैसे लखनऊ, गोरखपुर, सोनपुर, मुज्जफरपुर इनमें आप 40 से 70 रु0 तक भाड़ा लेते हैं, और पटना में 35 रु0 भाड़ा लेते हैं। और जो अनइम्पोर्टेंट स्टेशन है जहां बिक्री बड़ी कम होती है, बड़े बड़े स्टेशनों पर तो हजारों रु0 की बिक्री होती है, लेकिन महेन्द्र-घाट जैसे स्टेशन पर 100 रु० रोज से ज्यादा की बिक्री नहीं होती है वहां एग्रीमेंट करते वक्त 80 रु0 प्रति माह भाड़ा निर्धारित किया था। वहां के ठेकेदार ने कहा कि इसका भाड़ा पहले जब रेलवे के तहत में था और जब एक यूनिट में जहाज का अपर डेक भी सम्मिलित था तो आप 40 रु0 लेते थे, और घाटा लगने पर छोड़ दिया, आप चलाने नहीं जा रहे थे, और कई दिनों तक वहां रेस्ट्रां बन्द रहा। इसके बाद लोगों के कहने पर कि वहां लोग आते जाते हैं, वहां ठहरते तो नहीं हैं, लेकिन चाय पानी करते हैं और इसको चालू कीजिए, न आप से चलता हो तो किसी ठेकेदार को दे दीजिए। आपने पहले ठेकेदार को दिया तो पहले तो आपने आधा यूनिट यानि जहाज का अपर डेक हटा लिया और आधा यूनिट के लिए आपने 80 रु० भाड़ा रखा। जो पहले 40 रु0 दोनों मिला कर होता था, उसका आपने 80 रु0 एग्रीमेंट किया। जब ठेकेदार ने यह कहा कि भाड़ा कम होना चाहिए चूंकि आधा यूनिट आपने ले लिया। जो नाजायज तरह से आपने ले लिया, वह हमें मिलना चाहिए था क्योंकि किसी रेस्तरां का एक वेंडिंग स्फीयर होता है और वह महेन्द्रघाट का अपर डेक था। रेस्तरां से कहीं नफा नहीं होता है जब तक वेंडिंग न हो। आपने उसे ले लिया। आपने आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया, लेकिन भाड़ा वही रखा। और आवेदन-पत्र देने पर और क्या किया? पहले आपने 1700 रु0 भाड़ा लगा दिया। बड़े बड़े स्टेशनों पर तो 40, 50 रु0 भाड़ा लेकिन महेन्द्रघाट स्टेशन का 1700 रु0 प्रति माह भाड़ा लगा दिया। जब ठेकेदार ने प्रोटेस्ट किया तो आपने 1249 रु0 50 पैसे किया। आप सोचिए पटना स्टेशन स्टेशन जहां हजारों रु० की बिक्री रोज होती है वहां तो 35 रु० भाड़ा लगाया है और जहां 100 रु0 की बिक्री है वहां 1249 रु0 लगाया है। इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि जो ठेकेदार आधि-कारियों को नहीं खिला पिला सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है वह टिकने न पाए और बड़े बड़े स्टेशनों के ठेकेदार सब रेलवे अधिकारियों के हाथ गर्म करते हैं तो वहां आप भाड़ा कम कर देते हैं? और गरीबों का भाड़ा, जो लोगों की हथेली गरम नहीं कर सकता, ज्यादा लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता है। इसका दूसरा अर्थ तो हो नहीं सकता, एक ही अर्थ हो सकता है कि या आप उसको हटाना चाहते हैं, अपने मन के आदमी को लाना चाहते हैं या किसी वजह से आप चाहते हैं कि आपकी खुशामद दरामद करे, कुछ हाथ गर्म करे। (व्यवधान)

भाड़ा फिक्स करने का कोई क्राइटेरिया होता है। वह क्राइटेरिया जो रेलवे ने बनाया है वह डेढ़ परसेंट से 11 परसेंट है लागत पर। ऐसा क्यों किया? इसलिए कि जहां बहुत अधिक बिक्री हो वहां 11 परसेंट लगाया जा सकता है, लेकिन जहां बिक्री नहीं होती है, छोटे-छोटे स्टेशन है, वहां डेढ़ परसेंट लगाया जा सकता है। उस हिसाब से महेन्द्रघाट का 35 रु0 भाड़ा होना चाहिए, लेकिन आपने बहुत मुरब्बत किया कि 1700 रु0 से 1250 रु0 किया। मिनिस्टर साहब आप सोचिए कि ऐसा क्यों आपके रेलवे में होता है।

एक बात और बताना चाहता हूं कि आपके महाप्रबन्धक वहां के सी० सी० एम० से कुछ नाजा-यज काम कराना चाहते थे, जब उसने वह स्वीकार नहीं किया तो उसको फोर्स्ड लीव पर भेजा और गलत काम किसी दूसरे से कराकर 4, 5 दिन बाद फिर उसे बुला लिया। यही समस्या है। रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है कि महेन्द्रघाट के साथ जहाज का अपर डेक सम्मिलित है, लेकिन आप लोग तो स्वार्थ में अन्धे हो जाते हैं, न आप सर्कुलर देखते हैं और न उसके अनुसार चलते हैं और बराबर सर्कुलर का पालन नहीं होता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 1250 रुपए किराया प्रतिमाह है या साल भर का है?

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : 1249 रु0 50 पैसे प्रतिमाह। (व्यवधान)

मैं उदाहरण के लिए एक बात बता रहा हूं, सबजैक्ट डिस्कशन का नहीं है, पर आपके महा-प्रबन्धक क्या करते हैं इसपे जाना जा सकता है। पूर्वांचल में रेलवे का आरक्षण उठा लिया गया है लेकिन फिर भी वहां आरक्षण का

पैसा लिया जाता है महाप्रबन्धक के आर्डर से । क्या इतना जुल्म कहीं होता है कि पैसेन्जर को आरक्षण तो दिया नहीं जाता है, उसको उठा लिया है फिर भी पैसा ले लिया जाता है । मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया हैं कि ज्यादती करने की प्रवृति महाप्रबन्धक की है ।

एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि कभी भी रागद्वेष से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है । आपको न्याय करना होगा । आप यदि राग-द्वेष से एडमिनिस्ट्रेशन कीजियेगा तो उसमें विकृति आयेगी और उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इस बात को शायद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लोग समझते नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह समझते हैं माल पानी मिलता है ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : दूसरा उदाहरण देता हूं । मैंने मंत्री जी से कहा था कि 700 से अधिक हाल्ट स्टेशन हैं, पूर्वोत्तर रेलवे में, उसमें 500 के ऊपर कोई लैवी सर चार्ज नहीं लगाया जाता लेकिन 200 से ऊपर हालतों पर आप 6 पैसे हर पैसेन्जर सर चार्ज लगाते हैं । (व्यवधान)

200 स्टेशन पर हर पैसेन्जर के हर टिकट पर 6 पैसे लिया जाता है । एक स्टेशन भी वह जाता है जहां का कि भाड़ा 15 पैसे है, उस पर भी 6 पैसे टिकट पर लिया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : वही बात है कि हर माल मिलेगा 6 आना ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं आपसे अनुरोध करूंगा मिनिस्टर साहब, कि एक बात से और सतर्क रहिये । कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने में उनके पी० ए० और स्पेशल असिस्टेंट बड़ी गड़बड़ी कराते थे, जिससे वह बहुत बदनाम हुए । आप लोगों को भी पी० ए० गबड़बड़ी करते हैं । श्री शिवनारायण जी कहें, तो मैं उदाहरण दे दूंगा एक नहीं, दस कि कितना उलटा सीधा उनके पी० ए० करते हैं । वे नाजायज काम कराना चाहते हैं । यदि उन की बागडोर नहीं कसिएगा तो आप भी गढ़े में गिरिएगा और यदि आप का ही मंशा हो तब तो बात ही कुछ और होती है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि अगर किसी को नहीं चाहते हैं तो उसको मत रखिए लेकिन उसको सताने की और झूठा फंसाने की कोशिश मत कीजिए ।

आपके यहां विजिलेंस डिपार्टमेंट है । हम ने देखा है इंडिरेंडेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी के समय में क्या क्या हथकंडा उस समय हुआ । आपके यहां विजिलेंस डिपार्टमेंट इंडिरेंडेंट नहीं है । अपने अफसरों के यहां दो वर्ष के बाद उन्हें फिर जाना पड़ता है और उन्हीं अफसरों के इशारे पर वे नाचते हैं । तो विजिलेंस की भी कोई रिपोर्ट हो तो आपको उचित है कि सजा देने के पहले मुजरिम का एक्सप्लेनेशन लें और यदि ऐसे नहीं करते हैं, तो इससे बढ़ कर दूसरी धांधली क्या हो सकती है ? खून के मुकदमें में भी आदमी से पूछा जाता है, गवाही ली जाती है कि तुम ने यह कर्म किया या नहीं । लेकिन आप यह करना नहीं चाहते हैं । आप चाहते है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जो कह दे गलत सलत वही करे । और कैसा विजिलेंस डिपार्टमेंट, कौन लोग हैं ? मामूली ग्रेड थी के लोग उसमें जाते है, ग्रेड वन के नहीं । वह लोग समझते हैं कि फिर मुझे उसी डी एम के यहां और उसी जी एम के यहा जाना है, उसके इशारे के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर हम से कसर साध लेगा । इसलिए आप उसको इंडिपेंडेंट बनाइए । जिस को भेजिए उसको करारबर के लिए भेज दीजिए । लियेन यहां रख कर आप चाहते हैं कि वह ईमानदारी से काम करे तो वह कभी नहीं कर सकता है । इसलिए मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप धांधली को देखिए और मैं समझता हूं कि मेरे इतना कहने के बाद आप कन्विंस होंगे कि नाजायज हुआ है, नाजायज किया गया है और यह नाजायज किया गया है कुछ मतलब से । ऐसे ही नहीं किया गया है । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि रेलवे का साम्राज्य बहुत बड़ा है । 18 लाख आदमी उसमें काम करते हैं । यह मैं मानता हूं कि यह संभव नहीं है आपके लिए कि आप हर चीज देख सकें, लेकिन जो आप के हीं लोग हैं आप के सथ उन पर तो अंकुश रखिए । अंकश नहीं तो आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन बरबाद हो जायगा ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : सभापति महोदय, महेन्द्रघाट के भोजनालय का ठेका 8 जून 1976 से श्री सुरेन्द्र मिश्र को दिया गया था । इसके लिए अस्थायी तौर पर 80 रु० प्रति माम किराया निर्धारित किया गया था । वर्तमान नियमों के अनुसार खान-पान स्थापनाओं का किराया इमारत और उपस्करों की व्यवस्था को देखते हुए उन की पूंजीगत लागत के 11 प्रतिशत से अधिक न बढ़ने वाली दर पर निर्धारित किया जाता है । ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि इसी प्रकार के स्टेशनों और वैसे ही स्थापनाओं का किराया तथा बिक्री के अवसरों और अर्थ-क्षमता के अनुरूप किराया निर्धारित किया जाय ।

इस भोजनालय का किराया पूंजीगत लागत के 11 प्रतिशत के आधार पर जून, 1975 में 1249.90 रुपये प्रति माम की दर पर निर्धारित किया गया । जब संसद् सदस्य श्री डी० एन० तिवारी ने किराये में इस भारी वृद्धि की ओर रेल मंत्रालय का ध्यान दिलाया तो इस किराये

[प्रो० मधु दंडवते]

को बहुत ज्यादा समझा गया और पूर्वोत्तर रेल प्रशासन से कहा गया कि वे इस किराये पर पुनर्विचार करें। मंत्रालय के इस निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे ने तीन अधिकारियों की एक समिति इस मामले की जांच करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए नियुक्त की। इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

श्री मिश्र ने अभी संशोधित दर पर किराया नहीं दिया है और वे 80 रुपये प्रति मास की अस्थायी दर पर ही किराया दे रहे हैं।

यह तो मेरा बयान है लेकिन उनको फिर मौका न मिले कि वह दोबारा सवाल पूछें इसलिए मैं दो मिनट में एक दो बातें कहना चाहता हूं। मैं तिवारी जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब उन्होंने मेरा ध्यान खींचा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर इतना किराया प्रति मास दिया जाता है और ऐसे कई स्टेशंस हैं कि जहां 40, 50, 60, 70 या 80 रुपया दिया जाता है। इसलिये मैंने समझा कि जो उन्होंने शिकायत की है वह ठीक है। तो तीन अफसरों की एक कमेटी बनायी गई है। उनकी सिफारिशें भी हमारे पास आई हैं। मेरा आगे चल कर काम करने का तरीका यह होगा कि इस प्रकार से कोई इर्रेशनल रेंट न रहे। जिस प्रकार का स्टेशन है उसी आधार पर और क्षमता के आधार पर उसका किराया तय किया जायगा। यह मामला कोर्ट में है, स्टे आर्डर दिया गया है।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : किराये का मामला कोर्ट में नहीं है, अगर कोर्ट में होता तो मैं उठाता ही नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक कंप्लेन्ट आई, एक शिकायत आई जब हमने विजिलेंस की जांच की तो हमारे पास यह जानकारी आई कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने अपने अनुभव के बारे में दिया था वह सर्टिफिकेट गलत था इसलिए कांट्रैक्ट का टर्मिनेट किया था। उसके बाद वे कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया। इसलिए टर्मिनेशन करने का तो कोई सवाल नहीं वह जारी रहा, 80 रु० महीना किराया दे रहे हैं लेकिन आगे चलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रेन्ट की एक रैशनल पालिसी पूरे देश के लिए करेंगे और जो समान टाइप के, समान कैटेगरी के स्टेशंस होंगे वहां पर समान रेन्ट लगेगा। यह आश्वासन मैं यहां पर देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर यह सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैंने कभी भी ठेके के केस का जिक्र नहीं किया। मैं जानता हूं जो सब-जुडिस है उसके लिए प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। आपने उठा दिया है। आपको याद होगा मैंने कई बार आपको लिखा कि अगर विजिलेंस की कोई रिपोर्ट हो तो मुजरिम से एक्सप्लेनेशन मांगिए और कहिए वह अपना दावा साबित करे और अगर ठीक न हो तो जो सजा देनी हो वह सजा दीजिए। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट आयेगी। तो मैं आपसे डिसकस करके इस पर आर्डर दूंगा। क्या रिपोर्ट आई मैं नहीं जानता लेकिन बिना मुझ से पूछे, बिना मुझ से राय लिए इन्होंने दूसरा आर्डर पास कर दिया। मैं कहूंगा यह मेरे साथ ब्रीच आफ फेथ था। आपने इसके लिए वायदा किया था पर वायदा रखा नहीं।

MR. CHAIRMAN: Discussion cannot go on in this manner.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have already clarified the p[illegible]n that we are examining this.

और जैसा मैंने इस सदन को आश्वासन दिया है मैं उससे पीछे हट नहीं सकता हूं।

श्री युवराज (कटिहार) : मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में रेलवे सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है। रेलें चलेंगी तो जो यात्री चलेंगे उनको खान-पान की आवश्यकता भी होगी। विभिन्न स्टेशंस पर [illegible] ों को आप ठेका देते है उसकी दरों में भिन्नता है। आप दो तरह की खान-पान की दुकानें चलाते हैं--एक तो डिपार्टमेण्टल कैटरिंग है, और दूसरे जो लाइसेंस-शुदा ठेकेदार हैं उनके जरिये चलाते है। दोनों में आप को लाभ है। डिपार्टमेन्टल केटरिंग से आप को 70-80 लाख रुपये साल में मिलता है और जो लाइसेंस-शुदा ठेकेदार हैं--उनसे 50-60 लाख रुपये मिलता है। एक तरफ ठेकेदार के पास जो बेयरे काम करते हैं उनको कम पैसा देना पड़े, इसके लिये वे तरह तरह की पैरवी करेंगे। मैं जानना चाहता हूं--जब दोनों तरीकों से आप को लाभ है, डिपार्टमेन्टल कैटरिंग से भी और लाइसेंस-शुदा ठेकेदारों से भी, तो क्यों नहीं आप तमाम कैटरिंग को डिपार्टमेंट केटरिंग कर दें, जिससे वहां पर काम करने वाले, जो फोर्थ-क्लास एम्प्लाइज हैं, उनकी नौकरी की सिक्योरिटी की व्यवस्था हो सके।

प्रो० मधु दण्डवते : आध घन्टे की जो चर्चा होती है, वह एक निश्चित सवाल पर होती है। मेरे मित्र ने जो सवाल उठाया है, वह विशाल सवाल है। सारे देश की रेलों पर डिपार्टमेन्टलाइजेशन होना चाहिये या नहीं, उसके बारे में मेरी भी एक निश्चित राय है, लेकिन जब तक हम नीति के आधार पर कोई फैसला नहीं करते है, तब तक इस सदन में आप सवाल पूछेंगे और उस का जवाब हम देंगे. परन्तु इस सब के लिए एक कारपोरेशन बना देंगे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता।

MR. CHAIRMAN: Say that is under consideration; it is the usual practice of the government.

PROF. MADHU DANDAVATE: It will be my pleasure to follow your advice. उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) सभापति महोदय, मुझे मंत्री महोदय की नीयत पर शंका नहीं है, लेकिन जिस विभाग का वे संचालन कर रहे हैं, उसके अधिकारियों की नीयत पर जरूर शंका है । आप भविष्य में जो करेंगे, वह ठीक है, लेकिन आप के पद .. एक चेम्बर है, उसी तरह से विभिन्न पदाधिकारियों की एक-एक चेम्बर्स हैं । यह जो बंगलिंग हुआ--कहीं पर 70 रुपया और कहीं 1700 रुपया--किन पदाधिकारियों की सजेश्चन्ज से ऐसा किया गया ? वे कौन अधिकारी थे, जिन्होंने ऐसा बंगलिंग किया, किस आधार पर किया और क्या इस के लिये आप उन पदाधिकारियों को दण्डित करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह मामला तो वर्षों से चलता आया है, इसलिये मैंने निश्चित किया है कि नई नीति तय करेंगे, साथ-साथ जो गलती हुई है, वह गलती किस ने की है, उसकी भी जांच जरूर करायेंगे ।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. on the 16th.

19.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on **Wednesday,** *the 16th August,* 1978/*Sravana* 25, 1900 (*Saka*).

MGGIPMRND--Job I- 2339 LS—JC 3426 -7-10-78— 880